भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2649

उत्तर देने की तारीख 22.12.2022

महिला कयर योजना

2649. श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री धनुष एम. कुमारः
श्री जी. सेल्वमः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री सी.एन. अन्नादुरईः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में महिला कयर योजना (एमसीवाई) के वर्तमान कार्यान्वयन के साथ-साथ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार उस उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही है जिसके लिए एमसीवाई शुरू की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के कार्यान्वयन में सरकार के समक्ष क्या-क्या चुनौतियां आई हैं;

(ग) एमसीवाई के तहत स्वरोजगार प्रदान करने वाली ग्रामीण महिला कारीगरों की संख्या कितनी है;

(घ) देश विशेषकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र में एमसीवाई के तहत प्रशिक्षित महिलाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है और उन्हें वृत्तिका की कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(ङ) देश में विशेष रूप से तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्य में इस योजना की महिला लाभार्थियों की संख्या कितनी है और इस योजना के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है;

(च) क्या सरकार ने एमसीवाई का कोई आंकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) कयर उत्पादन और इसके वितरण में महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) मंत्रालय, एक सांविधिक निकाय, कयर बोर्ड के माध्यम से एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, कयर विकास योजना के 'कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना' घटक के अंतर्गत देश में विभिन्न कौशल विकास गतिविधियों को कार्यान्वित कर रहा है। कयर विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों में, महिला कयर योजना (एमसीवाई) में केवल महिला कारीगरों को प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की परिकल्पना की गई है।

नारियल की भूसी का प्रसंस्करण करने वाले क्षेत्रों में ग्रामीण महिला कारीगरों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से कयर क्षेत्र में महिला कारीगरों के सशक्तिकरण के लिए कयर बोर्ड द्वारा एमसीवाई को कार्यान्वित किया जा रहा है और ग्रामीण महिला कारीगरों को बड़े पैमाने पर रोजगार के साथ-साथ जीवन स्तर में सुधार की गुंजाइश प्रदान करता है। स्कीम के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- कार्मिक कारीगरों को पर्यवेक्षकों/अनुदेशकों/कारीगरों के संवर्गों में प्रशिक्षित करना और कयर उद्योग के विकास के लिए कुशल मानव शक्ति की आवश्यकता को पूरा करना।
- कयर श्रमिकों के कौशल विकास के माध्यम से गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में सहायता करना।
- पीएमईजीपी से कताई उपकरण/कयर प्रसंस्करण मशीनरी की खरीद के लिए एमसीवाई प्रशिक्षित महिला कारीगरों की सहायता करना।
- जमीनी स्तर पर श्रमिकों में गुणवत्ता जानकारी अंतर्विष्ट करना और उन्हें मानक गुणवत्ता वाले फाइबर, यार्न और उत्पादों के उत्पादन के उचित तरीकों पर शिक्षित करना।

देश में एमसीवाई स्कीम की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**लाभार्थी महिलाओं की संख्या (19.12.2022 की स्थिति के अनुसार)**
तमिलनाडु	100
पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार	40
कर्नाटक	40
गुजरात	40
महाराष्ट्र	160
गोवा	20
आंध्र प्रदेश	40
ओडिशा	80
केरल	120
पूर्वोत्तर क्षेत्र	60
पश्चिम बंगाल	40

(ख) एवं (ग) जी, नहीं। वित्त वर्ष 2022-23 में, एमसीवाई के अन्तर्गत प्रशिक्षित लगभग 33 महिला कारीगरों को इकाइयों में रोजगार मिला है।

(घ) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, देश में एमसीवाई के अन्तर्गत 740 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्य में प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या के साथ-साथ भुगतान की गई वृत्तिका की राशि का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	**लाभार्थी महिलाओं की संख्या (19.12.2022 की स्थिति के अनुसार)**	**भुगतान की गई वृत्तिका की राशि (19.12.2022 की स्थिति के अनुसार)**
तमिलनाडु	100	6,00,000/- रू.
महाराष्ट्र	160	9,60,000/- रू.

(ङ) वर्तमान वर्ष 2022-23 के दौरान, एमसीवाई के लिए 234 लाख रू. की राशि का आबंटन किया गया है। वर्तमान में, देश में 740 महिला लाभार्थी हैं और वर्तमान वर्ष हेतु अब तक इस योजना के लिए 92.96 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
इस योजना के लिए किए गए वित्तीय उपयोग के साथ-साथ तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्य में एमसीवाई के अंतर्गत महिला लाभार्थियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रू. में)

राज्य	वित्तीय आबंटन **(19.12.2022 की स्थिति के अनुसार)**	अब तक जारी की गई राशि **(19.12.2022 की स्थिति के अनुसार)**
तमिलनाडु	31.2	13.28
महाराष्ट्र	46.8	16.60

(च) कयर बोर्ड ने वर्ष 2020 के दौरान एक मूल्यांकन अध्ययन किया है। इस अध्ययन में, यह पाया गया कि एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ग्रामीण महिलाओं की आय में काफी वृद्धि हुई है। कयर के उत्पादन में वृद्धि हुई है और महिला कत्तिनों को अधिक आय अर्जित करने में सक्षम बनाया है।

(छ) महिला कयर योजना के अतिरिक्त, कयर बोर्ड, देश में ग्रामीण महिला कारीगरों/अकुशल श्रमिकों को कयर इकाइयों के कामकाज के विषय में जागरूक करने और पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करके अपने कौशल में सुधार करने और इस प्रकार उन्हें अपनी स्वयं की कयर इकाइयों या कयर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए प्रेरित करने के लिए कयर विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न कौशल विकास गतिविधियों जैसे कि मूल्य वर्धित उत्पादों में प्रशिक्षण, नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम आदि का भी कार्यान्वयन कर रहा है। कयर क्षेत्र में उपलब्ध स्कीमों और नवीनतम प्रौद्योगिकियों के विषय में जानकारी का प्रसार करने के उद्देश्य से, बोर्ड इस स्कीम के अन्तर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम, कार्यशालाएं, एक्सपोजर दौरों आदि का भी आयोजन करता है। ये सभी कार्यक्रम उद्योग में महिला कारीगरों सहित कारीगरों की अधिक भागीदारी प्राप्त करने में सहायता करते हैं।

****